संख्या-21/2024/977-001-22-4-2023-1715046

प्रेषक,

अभय कुमार त्रिपाठी,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं
उ0प्र0, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4 लखनऊ : दिनांक 7 मार्च, 2024

विषय:- वित्तीय वर्ष-2023-24 में जनपद शामली में जिला कारागार के निर्माण के लिए भूमि क्रय करने हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-31423/नम-3/48/शामली/2022, दिनांक-19-10-2023 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद शामली में जिला कारागार के निर्माण हेतु नगर पंचायत बनत, तहसील- शामली, जिला-शामली में कुल चयनित भूमि 79.81 एकड़ में कृषकों की भूमि 78.36 एकड़ भूमि को क्रय किये जाने हेतु शासनादेश संख्या-54/2023/313/001-22-4-2023-1715046, दिनांक 27-09-2023 द्वारा स्वीकृत धनराशि रू0 50,00,00,000.00 को घटाते हुए शेष धनराशि (96,20,50,237.00-50,00,00,000. 00=46,20,50,237.00) **रू 0 46,20,50,237.00 (रू० छियालीस करोड़ बीस लाख पचास हजार दो सौ सैंतीस मात्र)** की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं :-

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

(1) महानिरीक्षक, कारागार मानक के अनुसार भूखण्ड के निबन्धन शुल्क की आवश्यकता एवं औचित्य के संबंध में संतुष्ट हो लेंगे।

(2) महानिरीक्षक, कारागार द्वारा समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति सुनिश्चित करते हुए अग्रेतर कार्यवाही की जाएगी।

(3) समस्त वित्तीय नियमों, वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं को सुसंगत प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये नियमानुसार धनराशि स्वीकृत करने का दायित्व महानिरीक्षक, कारागार का होगा।

(4) महानिरीक्षक, कारागार द्वारा सुसंगत शासनादेशों/नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए धनराशि अवमुक्त की जायेगी।

(5) महानिरीक्षक, कारागार वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 17.03.2023 में निहित प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

(6) स्वीकृत धनराशि जिलाधिकारी के डिपाजिट खाते में रखी जायेगी एवं नियमानुसार केवल वास्तविक आवश्यकता होने पर ही राजकोष से आहरित की जायेगी।

(7) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद के लिये स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(8) स्वीकृत धनराशि का उपयोग दिनांक 31 मार्च, 2024 तक कर लिया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 46,20,50,237 (रुपये छियालीस करोड़ बीस लाख पचास हजार दो सौ सैंतीस मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 025 **लेखा शीर्षक** 4070008000900 नवसृजित जनपदों में कारागार कें निर्माण हेतु भूमि क्रय के लिये एकमुश्त व्यवस्था **मानक मद** 60 भूमि क्रय के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-12-507-X-2023-24, दिनांक: 06.03.2024 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

अभय कुमार त्रिपाठी,
अनु सचिव।

संख्या-21/2024/977-001-22-4-2023-1715046, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) उ0प्र0, प्रयागराज।
(2) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, प्रयागराज।
(3) जिलाधिकारी, शामली।
(4) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(5) निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
(6) वित्त नियंत्रक, कारागार मुख्यालय, लखनऊ।
(7) निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), कारागार विभाग, उ0प्र0 शासन।
(8) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
(9) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

अभय कुमार त्रिपाठी,
अनु सचिव।

http://sha

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।